A7
7

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियॉ, आर.ए.एस.

अपील प्रकरण सं0 55/16

अमर लाल पुत्र श्री गोलूराम जाति बावरी साकिन कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. करतारसिंह पुत्र श्री गोलूराम जाति बावरी साकिन कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदार, हिन्दूमलकोट।

रेस्पो.

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट दिनांक 21–12–10

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री मोहन लाल माहर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0
राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से।

आदेश

दिनांक : 16.03.2017

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 के नाम चक 5 पी बड़ी तहसील श्री गंगानगर का मु0 नं0 11 कि0 नं0 1 का 0.253 है व कि0 नं0 2 से 25 में 6.200 है0 रकबा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । घरू तौर पर बंटवारा किया हुआ था, जिसमें अपीलांट के हक में मु0 नं0 11 का कि0 नं0 2, 4 से 7, 14 ता 17 व 24–25 का काब्जा चला आ रहा था। रेस्पो0 सं0 1 के पास कि0 नं0 19,10से 13 एवं 18 से 23 का कब्जा चला आ रहा था। रेस्पो0 सं0 1 ने कहा कि जैसे काश्त कर रहे हैं, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लेगें। इस पर रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलांट से छपे हुए फार्म तथा स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा उप तहसीलदार से अलग जमीन करवा ली। दिनांक 25–7–16 को रेस्पो0 सं0 1 ने कहा कि कि0 नं0 2 मेरे नाम से है, जो खाली कर दो, वरना वह कब्जा करेगा। मौका पर अपीलांट की फसल काश्त की हुई है। तहसील कार्यालय जाकर जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि कि0 नं0 2 रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम से तथा कि0 नं0 13 अपीलांट के नाम दर्ज है जबकि किला0 नं0 13 रेस्पो0 सं0 1 के कब्जा काश्त में है। किला नं0 2 का

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

कब्जा आज भी अपीलांट के पास है तथा उसके कब्जा काश्त में है। अपीलकृत आदेश से पूर्व पटवारी हल्का से मौका की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। पटवारी हल्का द्वारा न तो मौका देखा गया और न ही मौके की जॉच की गई। रिपोर्ट में कि0 नं0 2 व कि0 नं0 13 में कॉट छॉट की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर कि0 नं0 2 रेस्पो0 के नाम से निरस्त कर, अपीलांट के नाम से दर्ज किया जावे तथा कि0 नं0 13 अपीलांट के नाम से निरस्त कर रेस्पो0 सं0 1 के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए कहा है कि कि0 नं0 2 आज भी अपीलांट के कब्जा काश्त में है। पटवारी द्वारा मौका नहीं देखा गया है और न ही मौके की जॉच की गई है। पटवारी रिपोर्ट में कॉट छॉट की गई है। किला नं0 13 अपीलांट व रेस्पो0 दोनों के नाम दर्ज है। किला नं0 13 पर आज भी रेस्पो0 सं0 1 का कब्जा है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति कर पारित किया गया है। सहमति के आधार पर पारित बंटवारानामा के आदेश के खिलाफ अपील लाई नहीं करती है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2012(1) पेज 569 एवं ए0 आई आर0 2006(एस0सी0) 2628 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि सहमति के आधार पर किये गए बंटवारानामा के खिलाफ अपील लाई नहीं करती हैं। इसके खण्डन में अपीलांट के अधिवक्ता ने कहा कि बंटवारानामा काश्त सुविधा के लिए किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को मुगालता में रखकर कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गए है, इसलिए अपील लाई करती है। रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थना में एआईआर 2006 (एससी) पेज 2628 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " (A) Civil P.C. (5 of 1908), s. 96(3), O-23 R-3- Proviso inserted w.e.f. 01.02.1977 - Appeal - Not maintainable against consent degree - Party to approach court which passed conscent dergee and establish that there was no compromise" .

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलांट का यह कथन है कि उसके हस्ताक्षर मुगालते में रखकर करवाये गए है। सहमति के बंटवारानामा का उसे कोई ज्ञान नही था। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत राजीनामा के आधार पर पारित डिग्री के तथ्यों पर आधारित है। अतः तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत अपील प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

वकील रेस्पोडेंट का तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके खण्डन में वकील अपीलांट ने कहा है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी रेस्पोडेंट ने जब उसे बताया कि किला नं 02 मैनें अपने नाम से करवा लिया है, इसपर अपीलांट ने 26.07.2016 को उपतहसीलदार के कार्यालय में रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 28.07.2016 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल मिलते ही अपील बिना विलम्ब के प्रस्तुत कर दी गई।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2012(1) पेज 569 में "परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 53, 88 व 188 –11 वर्ष से अधिक के बाद प्रारम्भिक और अन्तिम डिक्री के विरूद्ध अपील– प्रार्थी वाद में पक्षकार था – विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण नहीं दिये – सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया – निर्णीत, धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन सही खारिज किया।"

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2010 का है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 26.07.2016 को उस समय हुई जब रेस्पोडेंट ने उसे बताया कि किला नं. 2 उसने अपने नाम करवा लिया है और यह जमीन अब उसकी है। अपीलांट के ग्रामीण परिवेश में होने के कारण व कागजों पर मुगालते से हस्ताक्षर करवाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र जो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह मार्क किया हुआ नहीं है। प्रार्थना पत्र में किला नम्बरों में कंटिग की हुई है तथा ओवरराईटिंग भी गई है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें भी कटिंग की गई है। किला नं0 13 को दो भागों में विभाजित किया गया है तथा किला नं0 2 बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार किला नं0 8 व 3 पर ओवरराईटिंग की गई है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किये रिपोर्ट की गई है। काश्तकार बंटवारा इसलिए करते हैं कि काश्त करने में

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

सुविधा रहे। किला नं0 13 को दो भागों में विभाजित करना काश्त की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं हो सकता है। अपीलकृत आदेश में भी किला नं0 13 को दो भागों में बॉटा हुआ है जबकि अपील मीमो के अनुसार किला नं0 13 रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कब्जे काश्त में है तथा किला नं0 2 अपीलांट के कब्जा में है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति का बंधपत्र जो निर्धारित मुद्रांक पर निष्पादित होना होता है, जिसमें पक्षकारों की आपसी सहमति के संबंध में समस्त तथ्यों का उल्लेख रहता है, को तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ऐसा विधिसम्मत् बंधपत्र पक्षकारों के मध्य नियमानुसार निष्पादित होना नहीं पाया जाता है। इस विधिसम्मत् दस्तावेज के अभाव में आपसी सहमति का बंटवारा होना विधि के सिद्वान्तों के प्रतिकूल है। अतः विधिसम्मत् बंधपत्र के अभाव में एवं काश्त की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलकृत आदेश दिनांक 21–12–10 इस हद तक निरस्त किया जाता है कि किला नं0 2 अपीलांट के पक्ष में एवं किला नं0 13 रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 16–03–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/3/17

(करतारसिंह पूनिया)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner